रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934
No. 213] NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

सा.का.नि. 358(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी अधिकारियों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :– ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **नियुक्ति** – ऐसे अधिकारियों के संबंध में ही, जिन्होंने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में अंतर्विष्ट अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, श्रेणी (श्रेणियों) में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :– (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शेप–1 से निम्नलिखित परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :–

एस – मनोवैज्ञानिक

एच – श्रवण शक्ति

ए – उपांग (अपैन्डेजेस्)

पी – शारीरिक क्षमता

ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक (1) से (5) द्वारा सूचित कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों और ऑखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्षता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्यों भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है ।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

7. **अन्य देशीय की अपात्रता**:– कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित रूप में संज्ञापित केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्ति या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि इन नियमों में की कोई बात नेपाल या भूटान के विषय में इन नियमों के अधीन नियुक्ति, उसके नामांकन या नियोजन को विवर्जित करेगी ।

8. **सेवा की अन्य शर्तें** :– इस काडर में नियुक्त किए गए व्यक्ति, सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं हैं, समय–समय पर यथा संशोधित सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अध्यधीन होंगें और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होते ही, उस योधक पद के लिए, जिस पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, विहित वर्दी पहननी होगी और छह सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना होगा ।

9. **अधिवर्षिता** :– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए अनुसार सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु वह व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

10.. **निरर्हताएं :— वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. **व्यावृत्तिः—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.कमांडेंट (संकर्म)	**03*** (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड 4 (37,400—67,000 रू0) + ग्रेड वेतन 8700 रू0

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता